



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082024-256654  
CG-DL-E-27082024-256654

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 643]  
No. 643]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2024

संख्या वी-11011(18)/14/2023-प्रशासन\_6/ए.—पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (1960 का 59) की धारा 10 और धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (समूह 'ख' पदों) भर्ती विनियम, 2024 है।  
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- लागू होना - ये विनियम इन विनियमों के साथ उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- वेतन मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट किया जाएगा।

4. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अन्य अर्हता, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट होंगे।
5. आरंभिक गठन - इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदधारियों, जिन्हें नियमित आधार पर इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले उक्त पदों पर नियुक्त किया गया था, को इन विनियमों के अधीन नियुक्त माना जाएगा और इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले आयोजित संबंधित पदों पर उनके द्वारा प्रदान की गई निरंतर सेवा को परिवीक्षा के प्रयोजनों के लिए, वरिष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायित्व और सेवा में पेंशन हेतु गिना जाएगा।
6. निरहता - वह व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
8. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

| पद का नाम     | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर       |
|---------------|---|----------|-------------------------------|
| (1)           | (2)   | (3)      | (4)                           |
| 1. सहायक सचिव | 1* (2023)<br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ख' | स्तर 9 (53100 - 167800 रुपये) |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा   | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
| (5)                  | (6)  | (7)   |
| लागू नहीं होता है    | 35 वर्ष से अधिक नहीं<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए | आवश्यक:-<br><br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि;   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> | <p>(ii) अंग्रेजी एवं हिन्दी का अच्छा ज्ञान; और<br/> (iii) केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठन या राज्य सरकार के संगठन या संवैधानिक संगठन या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सात वर्षों का प्रशासनिक अनुभव।</p> <p><b>वांछनीयः-</b></p> <p>पशु कल्याण की जानकारी।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> अहंताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> अनुभव संबंधी अहंता (अहंताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> |
|--|---|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो                              | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।  |
| (8) लागू नहीं होता है  | (9) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। | <p>(10) प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पणः</b> सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अहंताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अहंता और अनुभव रखना।</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p><b>टिप्पण 1:</b> – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> – प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |
|--|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।</p>  | <p>यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना ।</p>   |
| <p><b>(11)</b></p>  | <p><b>(12)</b></p>  |
| <p><b>प्रोन्नति-</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (₹. 44900-142400) में ऐसे प्रकाशन के संपादक जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (₹. 44900-142400) में ऐसे मानवीय शिक्षा अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है या वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35400-112400 रुपये) में ऐसे पशु चिकित्सा सर्जन जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और पशु कल्याण के क्षेत्र में कम से कम चार सप्ताह का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक किया है।</p> <p><b>टिप्पण:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके लिए ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई किसी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:</p> <p>(i) अध्यक्ष, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य; और</p> <p>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</p> |

ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

लागू नहीं होता है।

| पद का नाम            | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर   |
|----------------------|---|----------|---------------------------|
| (1)                  | (2)   | (3)      | (4)                       |
| 2. प्रकाशन के संपादक | 1* (2023)<br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ख' | स्तर 7 (रु. 44900-142400) |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |   |
| लागू नहीं होता है    | 35 वर्ष से अधिक नहीं।<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। | <p><b>आवश्यक:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि;</li> <li>(ii) अंग्रेजी और हिंदी का अच्छा ज्ञान और पकड़; और</li> <li>(iii) पत्रिकाओं के संपादन, लेआउट और डिजाइन, मूल लेख और अन्य प्रचार या प्रचार सामग्री लिखने में तीन वर्ष का अनुभव।</li> </ul> <p><b>वांछनीय:-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) किसी मानवीय संगठन में काम और कम से कम दो वर्ष के लिए जनसंपर्क कार्य का अनुभव;</li> <li>(ii) फोटोग्राफी, ब्लॉक मेकिंग और प्रचार मीडिया का ज्ञान;</li> <li>(iii) विज्ञापनों को संभालने और प्राप्त करने का अनुभव; और</li> <li>(iv) वर्ड प्रोसेसिंग और ऑनलाइन संपादन की तकनीक।</li> </ul> |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत   |
| (8)   | (9)                        | <p><b>(10)</b></p> <p>लागू नहीं होता है</p> <p>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष तथा प्रोन्नति प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी दो वर्ष।</p> <p><b>टिप्पण:</b> सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी –</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखना।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> – प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |

|  |  |
|--|--|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है | यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना   |
| (11)   | <p><b>(12)</b></p> <p>प्रोन्नति-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 (रु. 29200 – 92300) में ऐसे आशुलिपिक ग्रेड -1 जिन्होंने उस श्रेणी में रखारह वर्ष की नियमित सेवा की है और</p> <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:</p> <p>(i) अध्यक्ष, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>संबंधित क्षेत्र में कम से कम चार सप्ताह का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक किया है।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके लिए ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई किसी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>(ii) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड<br/>- सदस्य; और</p> <p>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी<br/>- सदस्य।</p> |
|--|--|

|   |
|---|
| <p>ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> |
| <p>(13)</p>   |
| <p>लागू नहीं होता है।</p>   |

| पद का नाम                | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर  |
|--------------------------|---|----------|--------------------------|
| (1)                      | (2)   | (3)      | (4)                      |
| 3. मानवीय शिक्षा अधिकारी | 1* (2023)<br><br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ख' | स्तर 7 (₹. 44900-142400) |

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
| (5)                  | (6)  | (7)   |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| लागू नहीं होता है | <p>35 वर्ष से अधिक नहीं।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी</p> | <p>आवश्यक:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि;</li> <li>(ii) प्रचार संगठन की गतिविधियों या पत्रकारिता में तीन वर्ष का अनुभव; और</li> <li>(iii) अंग्रेजी और हिंदी का अच्छा ज्ञान और पकड़।</li> </ul> |
|-------------------|---|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | उपखंड और लहाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्ष्मीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। |  |
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो  | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत  |
| (8)   | (9)   | (10)   |
| लागू नहीं होता है   | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष तथा प्रोन्नति प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी दो वर्ष।    | <p>प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पण:</b> सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखना।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |

|  |   |
|--|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।  | यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना ।  |
| (11)   | (12)  |
| <p><b>प्रोन्नति-</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 (रु. 25,500 – 81,100) में ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा की है और संबंधित क्षेत्र में कम से कम चार सप्ताह का प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक किया है।</p> <p><b>टिप्पणि:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके लिए ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई किसी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह 'ब' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:</p> <p>(i) अध्यक्ष, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य; और</p> <p>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</p> |

|  |
|--|
| ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (13)   |
| लागू नहीं होता है।   |

| पद का नाम             | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर     |
|-----------------------|---|----------|-----------------------------|
| (1)                   | (2)   | (3)      | (4)                         |
| 4. पशु चिकित्सा सर्जन | 1* (2023)<br><br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ब' | स्तर 6 (35400-112400 रुपये) |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा   | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं                                    |
| (5)                  | (6)  | (7)  |
| लागू नहीं होता है    | 35 वर्ष से अधिक नहीं।<br><br>टिप्पणि: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख | आवश्यक:-<br><br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री; |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> | <p>(ii) किसी भी केंद्रीय सरकार संगठन या राज्य सरकार संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों में जानवरों के इलाज में तीन वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(iii) हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान।</p> <p><b>वांछनीयः-</b></p> <p>पशु कल्याण में दो वर्ष का अनुभव।</p> |
|--|--|---|

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <p>सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी</p> | <p>परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो</p> | <p>भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।</p>   |
| <p>(8)</p> <p>लागू नहीं होता है</p>  | <p>(9)</p> <p>दो वर्ष</p>         | <p>(10)</p> <p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पणः</b> सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी –</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखना।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | टिप्पण 2: – प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। |
|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
| प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है। | यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना।  |
| (11)  | (12)   |
| लागू नहीं होता है   | <p>समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) अध्यक्ष, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;</li> <li>(ii) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य; और</li> <li>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</li> </ul> |

|  |
|--|
| ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
| (13)   |
| लागू नहीं होता है।   |

एस. के. दत्ता, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./412/2024-25]

## ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2024

**No. V-11011(18)/14/2023-Admin\_6/A.**—In exercise of the powers conferred by section 10 read with sub-section (2) of section 7 of the Prevention of Cruelty to Animals Act (59 of 1960), the Animal Welfare Board of India with the prior approval of Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to Group 'B' posts in the Animal Welfare Board of India under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Animal Welfare Board of India (Group 'B' posts) Recruitment Regulations, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Application.** - These regulations shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
4. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
5. **Initial constitution.** - The incumbents holding the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these regulations who were appointed to the said posts before the commencement of these regulations on regular basis shall be deemed to have been appointed under these regulations and the continuous service rendered by them in the respective posts held immediately before the commencement of these regulations shall be counted for the purposes of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.
6. **Disqualification.** - No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said posts:
 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
7. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of person.
8. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

| Name of post           | Number of posts   | Classification | Level in pay matrix          |
|------------------------|---|----------------|------------------------------|
| (1)                    | (2)   | (3)            | (4)                          |
| 1. Assistant Secretary | 1* (2023)<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'B'      | Level 9 (Rs. 53100 – 167800) |

| Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits.   | Educational and other qualifications required for direct recruits.   |
|--|--|--|
| (5)  | (6)  | (7)  |
| Not applicable                               | Not exceeding 35 years.<br><br><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories | <b>Essential:-</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) degree from a recognised University or Institute;</li> <li>(ii) good Knowledge of English and Hindi; and</li> <li>(iii) seven years' administrative experience in any Central Government organisation or State Government organisation or statutory organisation or autonomous bodies or public sector undertaking.</li> </ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. | <p><b>Desirable:</b> -</p> <p>Knowledge of animal welfare.</p> <p><b>Note 1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> |
|--|---|--|

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.  |     |      |
|--|------------------------------|---|-----|------|
|  |                              | (8)   | (9) | (10) |
| Not applicable   | Two years                    | <p>By Promotion failing which by direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> The vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officials of the Central Government or State Governments or Union territories Administration or statutory organisation or autonomous bodies or public sector undertakings, -</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:-</b> The period of deputation (including period of deputation) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:-</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> |     |      |

|  |   |
|--|---|
| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.   | If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.  |
| <b>Promotion:</b><br><br>Editor of Publication in Level 7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with three years' qualifying service in the grade or Human Education Officer in Level 7 | <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b></p> <p>(i) Chairman, Animal Welfare Board of India – Chairperson;</p> |

|  |   |
|--|---|
| (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with three years' regular service in the grade or Veterinary Surgeon in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having at least four weeks training in the field of Animal Welfare. | (ii) Secretary, Animal Welfare Board of India<br>– Member; and<br>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India<br>- Member. |
|--|---|

| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |  |
|---|--|
| (13)  |  |
| Not applicable.   |  |

| Name of post             | Number of posts  | Classification | Level in pay matrix        |
|--------------------------|--|----------------|----------------------------|
| (1)                      | (2)  | (3)            | (4)                        |
| 2. Editor of Publication | 1* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'B'.     | Level 7 (Rs. 44900-142400) |

| Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits  | Educational and other qualifications required for direct recruits   |
|--|--|---|
| (5)  | (6)  | (7)   |
| Not applicable                               | Not exceeding 35 years.<br><br><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. | <b>Essential :-</b><br>(i) degree from a recognised University or Institute;<br>(ii) good knowledge of and command over English and Hindi; and<br>(iii) three years' experience in editing journals, layout and design, writing original articles and other propaganda or publicity material.<br><br><b>Desirable:-</b><br>(i) experience of work in a humanitarian organisation and of public relations work for at least two years;<br>(ii) knowledge of photography, block making and publicity media;<br>(iii) experience in handling and procuring advertisements; and<br>(iv) word processing and techniques of online editing. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any                               | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|
| (8)   | (9)   | (10)  |
| Not applicable  | Two years for direct recruits and two years for promotees | By Promotion failing which by direct recruitment.<br><br><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of the Central Government organisations;</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including period of deputation) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> |
|--|--|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.</b>   | <b>If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.</b>   |
| (11)<br><b>Promotion:</b><br><br>Stenographer Grade-I in Level 5 (Rs. 29200 – 92300) in the pay matrix with eleven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and having at least four weeks training in the relevant field. | (12)<br><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b><br><br>(i) Chairman, Animal Welfare Board of India – Chairperson;<br>(ii) Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;<br>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India - Member. |

|  |
|--|
| <b>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</b> |
| (13)<br>Not applicable.  |

| <b>Name of post</b>        | <b>Number of posts</b>   | <b>Classification</b> | <b>Level in pay matrix</b> |
|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| (1)                        | (2)  | (3)                   | (4)                        |
| 3. Human Education Officer | 1* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'B'.            | Level 7 (Rs. 44900-142400) |

| <b>Whether selection post or non-selection post</b> | <b>Age-limit for direct recruits</b>  | <b>Educational and other qualifications required for direct recruits</b>    |
|---|---|---|
| (5)   | (6)   | (7)   |
| Not applicable                                      | Not exceeding 35 years<br><br><b>Note:</b> The crucial date for determining | <b>Essential:-</b><br>(i) Degree from a recognised University or Institute; |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. | (ii) three years' experience in propaganda organisation activities or Journalism; and<br><br>(iii) good knowledge of and command over English and Hindi. |
|--|---|--|

| <b>Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.</b> | <b>Period of probation, if any.</b>                       | <b>Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.</b>   |            |
|---|---|---|------------|
|   |   |   | <b>(8)</b> |
| Not applicable  | Two years for direct recruits and two years for promotees | <p>By Promotion failing which by direct recruitment.</p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of the Central Government organisations;</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including period of deputation) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> | <b>(9)</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.</b>   | <b>If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.</b>  |
| <b>Promotion:</b><br><br>Upper Division Clerk in Level 4 (Rs. 25,500 – 81,100) in the pay matrix with fifteen years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and | <b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b><br><br>(i) Chairman, Animal Welfare Board of India – Chairperson; |

|  |   |
|--|---|
| having at least four weeks training in the relevant field. | (ii) Secretary, Animal Welfare Board of India<br>– Member;<br>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India<br>- Member. |
|--|---|

| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment<br>(13) |  |
|---|--|
| Not applicable.   |  |

| Name of post           | Number of posts  | Classification | Level in pay matrix         |
|------------------------|--|----------------|-----------------------------|
| (1)                    | (2)  | (3)            | (4)                         |
| 4. Veterinary Surgeon. | 1* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'B'.     | Level 6 (Rs. 35400-112400). |

| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits.  | Educational and other qualifications required for direct recruits.   |
|---|---|--|
| (5)   | (6)   | (7)  |
| Not applicable                                | Not exceeding 35 years<br><br><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. | <b>Essential:-</b><br>(i) degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University or Institute;<br>(ii) three years' experience in treatment of animals in any Central Government organisation or State Government organisation or public sector undertaking or autonomous bodies; and<br>(iii) knowledge of Hindi and English.<br><br><b>Desirable:-</b><br>Two years' experience in Animal Welfare. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.  |
|--|------------------------------|---|
| (8)  | (9)                          | (10)  |
| Not applicable   | Two years                    | By direct recruitment.<br><br><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of the Central Government organisations;<br>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>(b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including period of deputation) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> |
|--|--|---|

| <b>In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.</b> | <b>If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.</b>  |
|---|--|
| <b>(11)</b>   | <b>(12)</b>  |
| Not applicable  | <p><b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</b></p> <p>(i) Chairman, Animal Welfare Board of India – Chairperson;</p> <p>(ii) Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;</p> <p>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India – Member.</p> |

| <b>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</b> |
|--|
| <b>(13)</b>  |
| Not applicable.  |

S. K. DUTTA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./412/2024-25]



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082024-256655  
CG-DL-E-27082024-256655

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 644]  
No. 644]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2024/श्रावण 31, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2024/SHRAVANA 31, 1946

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 09 जुलाई, 2024

सं. वी-11011(18)/14/2023-प्रशासन\_6/बी—पशु कूरता निवारण अधिनियम (1960 का 59) की धारा 10 और धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग के अधीन भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (समूह 'ग' पदों) भर्ती विनियम, 2024 है।  
(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- लागू होना - ये विनियम इन विनियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- वेतन मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में निर्दिष्ट किया जाएगा।
- भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अन्य अर्हता, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्ट होंगे।

5. **आरंभिक गठन** - इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदधारियों, जिन्हें नियमित आधार पर इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले उक्त पदों पर नियुक्त किया गया था, को इन विनियमों के अधीन नियुक्त माना जाएगा और इन विनियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले आयोजित संबंधित पदों पर उनके द्वारा प्रदान की गई निरंतर सेवा को परिवीक्षा के प्रयोजनों के लिए, वरिष्ठता, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायित्व और सेवा में पेंशन हेतु गिना जाएगा।

6. **निरहृता - वह व्यक्ति -**

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनकी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

| पद का नाम                 | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर   |
|---------------------------|---|----------|---------------------------|
| (1)                       | (2)   | (3)      | (4)                       |
| 1. मुख्य नियिक सह लेखाकार | 1* (2023)<br><br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ग' | स्तर 5 (₹. 29200 – 92300) |

| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा   | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |
|----------------------|--|---|
| (5)                  | (6)  | (7)   |
| चयन।                 | 30 वर्ष से अधिक नहीं।<br><br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्ष्मीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। | आवश्यक:-<br><br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उपाधि; और<br>(ii) किसी भी केन्द्रीय सरकार के संगठन या राज्य सरकार के संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायक्षेत्र में प्रशासन, स्थापना, नकदी और खातों में पांच वर्ष का अनुभव। |

|  |  |  |
|--|--|--|
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।            | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत। |
| (8)  | (9)                                    | (10)   |
| आयु: नहीं<br>शैक्षिक अर्हता: हाँ   | प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा  |

|  |  |
|--|--|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।  | यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना   |
| (11)   | (12)   |
| <p><b>प्रोन्नति-</b><br/>ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 में उच्च श्रेणी लिपिक (25500-81100 रुपये)।</p> <p>टिप्पणि - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <p>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;<br/>(ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य;<br/>(iii) केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के अवर सचिव रैंक के - सदस्य।</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <p>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;<br/>(ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य;<br/>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</p> |

|   |
|---|
| ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (13)  |
| लागू नहीं होता है।  |

| पद का नाम            | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर    |
|----------------------|---|----------|----------------------------|
| (1)                  | (2)   | (3)      | (4)                        |
| 2. आशुलिपिक ग्रेड -1 | 2* (2023)<br><br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ग' | स्तर 5 (रु. 29200 – 92300) |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| चयन पद है या अन्वयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
| (5)                    | (6)  | (7)   |

चयन।

30 वर्ष से अधिक नहीं।

**टिप्पणी:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांची उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्ष्मद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

आवश्यक:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की उपाधि; और

(ii) कौशल परीक्षण मानदंड:

श्रुतलेख:

10 मिनट @ 100 शब्द प्रति मिनट।

प्रतिलेखन:

40 मिनट (अंग्रेजी),

55 मिनट (हिंदी)

(केवल कंप्यूटर पर)

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत। |
| (8)  | (9)                         | (10)   |

लागू नहीं होता है।

प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।

50% प्रोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा।

|  |   |
|--|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।  | यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना  |
| <p><b>प्रोन्नति:</b><br/>आशुलिपिक ग्रेड द्वितीय में वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ।</p> <p>टिप्पणी - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> | <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष।</li> <li>(ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य।</li> <li>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</li> </ul> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष।</li> <li>(ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य।</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
|  | (iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य। |
|--|---|

|   |
|---|
| ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (13)  |
| लागू नहीं होता है।  |

| पद का नाम            | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर     |
|----------------------|---|----------|-----------------------------|
| (1)                  | (2)   | (3)      | (4)                         |
| 3. उच्च श्रेणी लिपिक | 2* (2023)<br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ग' | स्तर 4 (₹. 25,500 – 81,100) |

| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |  |
|----------------------|---|--|
| (5)                  | (6)   | (7)  |
| अचयन।                | 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट)।<br>टिप्पणी: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णयिक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लहान राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्ष्मद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। | आवश्यक:-<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की उपाधि। |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत। |
|--|-----------------------------|--|
| (8)  | (9)                         | (10)   |
| लागू नहीं होता है।   | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।  | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।  |

|  |  |
|--|--|
| <p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।</p>   | <p>यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना</p>  |
| <p>(11)</p>  | <p>(12)</p>  |
| <p><b>प्रोन्नति:</b><br/>नियमित आधार पर अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2(19,900-63,200 रुपये) में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ।<br/><b>टिप्पणि</b> - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति:-</b><br/>केंद्रीय सरकार के अधिकारी:</p> <p>(i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या</p> <p>(ii) अवर श्रेणी लिपिक या समकक्ष ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा के साथ</p> <p><b>टिप्पणि 1:</b> - पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पणि 2:</b> - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पणि 3:</b> - प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> | <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-</p> <p>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य;</p> <p>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।</p> |

|  |
|--|
| <p>ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p> |
| <p>(13)</p>  |
| <p>लागू नहीं होता है।</p>  |

| पद का नाम             | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर      |
|-----------------------|----------------|----------|------------------------------|
| (1)                   | (2)            | (3)      | (4)                          |
| 4. आशुलिपिक ग्रेड - 2 | 2* (2023)      | समूह 'ग' | स्तर 4 (रु. 25,500 – 81,100) |

\* कार्य भार के आधार पर

| परिवर्तन किया जा सकता है।  |   |   |
|--|---|---|
| चयन पद है या अन्य पद   | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा  | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |
| (5)  | (6)   | (7)   |
| लागू नहीं होता है।   | <p>18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट)।</p> <p><b>टिप्पणि:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्ष्मीनारायण के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> | <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष; और</p> <p>(ii) कौशल परीक्षण मानदंड:</p> <p><b>श्रुतलेख:</b><br/>10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट।</p> <p><b>प्रतिलेखन:</b><br/>50 मिनट (अंग्रेजी),<br/>65 मिनट (हिंदी)<br/>(केवल कंप्यूटर पर)</p>   |
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।   | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।  |
| (8)  | (9)   | (10)  |
| लागू नहीं होता है।   | दो वर्ष।  | <p><b>सीधी भर्ती द्वारा।</b></p> <p><b>टिप्पणि:</b> सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता और</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>अनुभव रखना।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> – प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |
|--|--|--|

|  |      |  |
|--|------|--|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है। | (11) | (12)   |
| लागू नहीं है।  |      | <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: –</p> <p>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड – अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड – सदस्य;</p> <p>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य।</p> |

|   |      |
|---|------|
| ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। | (13) |
| लागू नहीं होता है।  |      |

| पद का नाम           | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर      |
|---------------------|----------------|----------|------------------------------|
| (1)                 | (2)            | (3)      | (4)                          |
| 5. अवर श्रेणी लिपिक | 4* (2023).     | समूह 'ग' | स्तर 2 (रु. 19,900 – 63,200) |

\* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

| चयन पद है या अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा   | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं  |
|----------------------|--|--|
| (5)                  | (6)  | (7)  |
| अचयन।                | <p>18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार चालीस वर्ष तक के सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट)</p> <p><b>टिप्पण:</b> आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।</p> | <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष अर्हता;</p> <p>(ii) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति।</p> <p>(35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी डिप्रेशन पर 10500 केडीपीएच / 9000 केडीपीएच के अनुरूप हैं)</p> |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।   |
|--|-----------------------------|--|
| (8)  | (9)                         | (10)   |
| हाँ।   | सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।  | <p>(i) सीधी भर्ती से 85 प्रतिशत।</p> <p>(ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स में स्तर -1 (18000-56900 रुपये) में समूह 'ग' कर्मचारियों के बीच से भरी जाएंगी और जिनके पास 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष अर्हता है और जिन्होंने विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की है।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b> – परीक्षा के लिए पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50 वर्ष की आयु)</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> यदि खंड (ii) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक ऐसे कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो बाद के वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर विचार किया जाएगा ताकि पहले की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों से पहले विचार किया जा सके;</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | (iii) 5 प्रतिशत रिक्तियों को समूह 'ग' के उन कर्मचारियों से वरिष्ठता-सह-फिटनेस के आधार पर भरा जाएगा, जिनकी वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56900 रुपये) के पदों पर तीन वर्ष की नियमित सेवा है। |
|--|--|---|

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।

| (11)                                | (12)   |
|-------------------------------------|--|
| जैसा कि स्तम्भ (10) में कहा गया है। | <p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -</p> <p>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;<br/> (ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य;<br/> (iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी -सदस्य।</p> <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: -</p> <p>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - अध्यक्ष;<br/> (ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड - सदस्य;<br/> (iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी -सदस्य।</p> |

ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

लागू नहीं होता है।

| पद का नाम     | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर      |
|---------------|----------------|----------|------------------------------|
| (1)           | (2)            | (3)      | (4)                          |
| 6. हिंदी टंकक | 1* (2023)      | समूह 'ग' | स्तर 2 (19,900-63,200 रुपये) |

\* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

चयन पद है या सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए

| अन्वयन पद  | आयु-सीमा   | अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं  |
|--|--|--|
| (5)  | (6)  | (7)  |
| लागू नहीं होता है।   | <p>18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच।<br/>(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक की छूट)।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्धाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> | <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष।</p> <p>(ii) एक हिंदी टाइपराइटिंग में तीस शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति। अंग्रेजी टाइपराइटिंग में तीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति। कंप्यूटर पर (पैंतीस शब्द प्रति मिनट और तीस शब्द प्रति मिनट 10500 कुर्जीं डिप्रैशनप्रति घंटे या 9000 कुर्जीं डिप्रैशनप्रति घंटे प्रत्येक शब्द के लिए औसतन पांच कुर्जीं डिप्रैशन के अनुरूप हैं)।</p>   |
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।  | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।   |
| (8)  | (9)  | (10)   |
| लागू नहीं होता है।   | दो वर्ष।   | <p>सीधी भर्ती द्वारा।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -</p> <p>(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखना।</p> <p><b>टिप्पणी 1:</b> - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> – प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> |
|--|--|--|

|   |  |
|---|--|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है। | यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना।  |
| (11)  | (12)   |
| लागू नहीं होता है।  | <p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: –</p> <p>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड – अध्यक्ष;</p> <p>(ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड – सदस्य;</p> <p>(iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी – सदस्य।</p> |

|   |
|---|
| ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
| (13)  |
| लागू नहीं होता है।  |

| पद का नाम                | पदों की संख्या  | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर  |
|--------------------------|---|----------|--------------------------|
| (1)                      | (2)   | (3)      | (4)                      |
| 7. बहुकार्य कर्मचारिवृंद | 5* (2023)<br>* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | समूह 'ग' | स्तर 1 (रु. 18000-56900) |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| चयन पद है या अन्वयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा  | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
| (5)                    | (6)   | (7)   |
| लागू नहीं होता है।     | 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच<br>टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, | मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष पास।                               |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा-जिले के पांगी उपखंड और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> – रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में, आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तारीख अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम जमा करने के लिए कहा जाता है।</p> |  |
|--|---|--|

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी। | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।   |
| (8)<br>लागू नहीं होता है।  | (9)<br>दो वर्ष।             | (10)<br>सीधी भर्ती द्वारा।<br><b>टिप्पण:</b> सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए धारित की जाने वाली विहित अर्हताएं तथा नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी वीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी -<br>(क) (i) नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना; या<br>(ii) वेतन मैट्रिक्स में लेवल-1(रु. 18000-56900) के पदों पर दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और<br>(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखना। |

|   |   |
|---|---|
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है। | यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति है, तो इसकी संरचना।   |
| (11)<br>लागू नहीं होता है।  | (12)<br>समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-<br>(i) सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड |

|  |  |            |
|--|--|------------|
|  |  | - अध्यक्ष; |
|  | (ii) सहायक सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड                               | - सदस्य;   |
|  | (iii) भारत सरकार के अवर सचिव रैंक का केंद्रीय सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी | - सदस्य।   |

ऐसी परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

लागू नहीं होता है।

एस.के. दत्ता, सचिव  
[विज्ञापन-III/IV/असा./413/024-25]

### ANIMAL WELFARE BOARD OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 2024

**No. V-11011(18)/14/2023-Admin\_6/B** —In exercise of the powers conferred by section 10 read with sub-section (2) of section 7 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Animal Welfare Board of India with the prior approval of Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Animal Welfare Board of India under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, namely:-

- Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Animal Welfare Board of India (Group 'C' posts) Recruitment Regulations, 2024.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.** - These regulations shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Initial constitution.** - The incumbents holding the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these regulations who were appointed to the said posts before the commencement of these regulations on regular basis shall be deemed to have been appointed under these regulations and the continuous service rendered by them in the respective posts held immediately before the commencement of these regulations shall be count for the purposes of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.
- Disqualification.** - No person, -  
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of person.
8. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

| Name of post.                 | Number of posts.   | Classification. | Level in pay matrix.         |
|-------------------------------|--|-----------------|------------------------------|
| (1)                           | (2)  | (3)             | (4)                          |
| 1. Head Clerk Cum Accountant. | 1* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'C'.      | Level 5 (Rs. 29200 – 92300). |

| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits.   | Educational and other qualifications required for direct recruits.   |
|---|--|--|
| (5)   | (6)  | (7)  |
| Selection.                                    | <p>Not exceeding 30 years</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.</p> | <p><b>Essential:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) degree from a recognised University or Institute; and</li> <li>(ii) five years' experience in administration, establishment, cash and accounts in any Central Government organisation or State Government organisation or public sector undertaking or autonomous bodies.</li> </ul> |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any.                 | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|--|--|--|
| (8)  | (9)  | (10)   |
| Age: no<br>Educational qualification: yes.   | Two years for promotees and direct recruits. | By promotion failing which by direct recruitment.  |

|  |  |
|--|--|
| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.   | If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.   |
| (11)   | (12)   |
| <p><b>Promotion.-</b><br/>Upper Division Clerk in Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade.</p> <p><b>Note.-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> | <p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson;</li> <li>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;</li> <li>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India- Member.</li> </ul> <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson;</li> <li>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;</li> <li>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India – Member.</li> </ul> |

|  |
|--|
| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (13)   |
| Not applicable.  |

| Name of post.            | Number of posts.   | Classification. | Level in pay matrix.        |
|--------------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| (1)                      | (2)  | (3)             | (4)                         |
| 2. Stenographer Grade-I. | 2* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'C'.      | Level 5 (Rs. 29200 – 92300) |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits.  | Educational and other qualifications required for direct recruits.  |
| (5)   | (6)   | (7)   |
| Selection.                                    | <p>Not exceeding 30 years</p> <p><b>Note:</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,</p> | <p><b>Essential:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) degree of a recognised University or equivalent; and</li> <li>(ii) skill test norms:</li> </ul> <p><b>Dictation:</b><br/>10 minutes @ 100 words per minute.</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. | Transcription:<br>40 minutes (English),<br>55 minutes (Hindi)<br>(Only on computers). |
|--|--|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any.                 | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
| (8)  | (9)  | (10)   |
| Not applicable.  | Two years for promotees and direct recruits. | 50% by promotion and 50% by direct recruitment.  |

|   |   |
|---|---|
| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.  | If Departmental Promotion Committee exists, what its composition.   |
| (11)  | (12)  |
| <b>Promotion:</b><br>Stenographers Grade II in Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years' regular service in the grade.<br><br><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | <b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</b><br>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson.<br>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member.<br>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India- Member.<br><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</b><br>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson.<br>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member.<br>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India – Member. |

|  |
|--|
| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (13)   |
| Not applicable.  |

| Name of post.            | Number of posts.                 | Classification. | Level in pay matrix.          |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| (1)                      | (2)                              | (3)             | (4)                           |
| 3. Upper Division Clerk. | 2* (2023).                       | Group 'C'.      | Level 4 (Rs. 25,500 – 81,100) |
|                          | * Subject to variation dependent |                 |                               |

|   |                                |  |  |
|---|--------------------------------|--|--|
|   | on work load.                  |  |  |
| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |  |
| (5)   | (6)                            | (7)  |  |

Non-selection.

Between 18 years and 27 years.

(relaxable for the Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)

**Essential:** -

Degree of a recognised University or equivalent.

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any.   | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
| (8)  | (9)                            | (10)   |
| Not applicable.  | Two years for direct recruits. | By promotion failing which by deputation.  |

|   |   |
|---|---|
| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.                            | If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.  |
| (11)  | (12)  |
| <b>Promotion:</b><br>Lower Division Clerk in Level-2 (Rs. 19,900-63,200) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade on regular basis. | <b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</b><br>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson;<br>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;<br>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India- Member. |

**Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than

|   |  |
|---|--|
| <p>half of such qualifying /eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p><b>Deputation: -</b></p> <p>Officers of the Central Government:</p> <p>(iii) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(iv) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent</p> <p><b>Note 1:</b> - The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 2:</b> - Period of deputation including the period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 3:-</b> The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'Not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.</p> |  |
|---|--|

|  |
|--|
| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (13)   |
| Not applicable.  |

| Name of post.                | Number of posts.   | Classification. | Level in pay matrix.           |
|------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| (1)                          | (2)  | (3)             | (4)                            |
| 4. Stenographer<br>Grade-II. | 2* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'C'.      | Level 4 (Rs. 25,500 – 81,100). |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits.   | Educational and other qualifications required for direct recruits.  |
| (5)<br><br>Not applicable.                    | (6)<br><br>Between 18 years and 27 years.<br><br>(relaxable for the Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). | (7)<br><br>(i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University; and<br>(ii) skill test norms:<br><br><b>Dictation:</b><br>10 minutes @ 80 words per minute. |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)</p> | <p><b>Transcription:</b><br/>50 minutes (English),<br/>65 minutes (Hindi)<br/>(Only on computers).</p>  |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any.  | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.  |
| (8)  | (9)   | (10)  |
| Not applicable.  | Two years.  | <p><b>By direct recruitment.</b></p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of the Central Government organisations;</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation (including period of deputation) in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.</p> <p><b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> |

|   |  |
|---|--|
| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ | If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition. |
|---|--|

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| absorption to be made. | (11) | (12)  |
| Not applicable.        |      | <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</b></p> <p>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson;</p> <p>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;</p> <p>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India – Member.</p> |

|  |      |
|--|------|
| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. | (13) |
| Not applicable.  |      |

| Name of post.            | Number of posts.   | Classification. | Level in pay matrix.           |
|--------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| (1)                      | (2)  | (3)             | (4)                            |
| 5. Lower Division Clerk. | 4* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'C'.      | Level 2 (Rs. 19,900 – 63,200). |

| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits.  | Educational and other qualifications required for direct recruits.   |
|---|---|--|
| (5)   | (6)   | (7)  |
| Non-selection.                                | Between 18 and 27 years of age (relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)<br><br>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the last date for receipt of applications. | (i) 12th class or equivalent qualification from a recognised Board or University;<br>(ii) A typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter; Or<br>A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.<br><br>(35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word) |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|--|------------------------------|--|
| (8)  | (9)                          | (10)   |

|      |                                |   |
|------|--------------------------------|---|
| Yes. | Two years for direct recruits. | <p>(i) 85 per cent by direct recruitment.</p> <p>(ii) 10 per cent of the vacancies shall be filled from amongst the Group C staff in Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix and who possess 12th class pass or equivalent qualification and have rendered three years' regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination.</p> <p><b>Note 1:-</b> The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years of age for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe)</p> <p><b>Note 2:-</b> If more of such employees than the number of vacancies available under clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination;</p> <p>(iii) 5 per cent of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have three years' regular service in posts in Level-1 (Rs. 18000-56900) of the pay matrix.</p> |
|------|--------------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.   |
| (11)   | (12)   |
| As stated in column (10).  | <p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: -</b></p> <p>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson;</p> <p>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;</p> <p>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India - Member.</p> <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation)</b></p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>consisting of: -</b>  |
|  | (i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson;  |
|  | (ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;  |
|  | (iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India - Member. |

|  |
|--|
| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (13)   |
| Not applicable.  |

| Name of post.    | Number of posts.   | Classification. | Level in pay matrix.         |
|------------------|--|-----------------|------------------------------|
| (1)              | (2)  | (3)             | (4)                          |
| 6. Hindi Typist. | 1* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'C'.      | Level 2 (Rs. 19,900-63,200). |

| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits.   | Educational and other qualifications required for direct recruits.  |
|---|--|---|
| (5)   | (6)  | (7)   |
| Not applicable                                | Between 18 years and 27 years. (relaxable for the Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br><br>The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.) | (i) 12th class pass or equivalent from a recognised Board or University.<br>(ii) A typing speed of thirty words per minute in Hindi typewriting. Minimum speed of thirty words per minute in English typewriting. On computer (thirty five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 Key Depressions Per Hour or 9000 Key Depressions Per Hour on an average of five key depressions for each word). |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various |
|---|------------------------------|---|
|   |                              |   |

| case of promotees. |            | methods.   |
|--------------------|------------|--|
| (8)                | (9)        | (10)   |
| Not applicable.    | Two years. | <p><b>By direct recruitment.</b></p> <p><b>Note:</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from official of the Central Government organisations;</p> <p>(a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p><b>Note 1:</b> The period of deputation including period of deputation in another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. <b>Note 2:</b> The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p> |

|  |  |
|--|--|
| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.   |
| (11)   | (12)   |
| Not applicable.  | <p><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</b></p> <p>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India- Chairperson;</p> <p>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;</p> <p>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India - Member.</p> |

|  |                  |                 |                      |
|--|------------------|-----------------|----------------------|
| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |                  |                 |                      |
| (13)   |                  |                 |                      |
| Not applicable.  |                  |                 |                      |
| Name of post.  | Number of posts. | Classification. | Level in pay matrix. |

| (1)                     | (2)  | (3)        | (4)                        |
|-------------------------|--|------------|----------------------------|
| 7. Multi Tasking Staff. | 5* (2023).<br><br>* Subject to variation dependent on work load. | Group 'C'. | Level 1 (Rs. 18000-56900). |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Whether selection post or non-selection post. | Age-limit for direct recruits.   | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
| (5)   | (6)  | (7)  |
| Not applicable.                               | <p><b>Between 18 and 25 years of age</b></p> <p><b>Note 1:-</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub, Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman &amp; Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2:-</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p> | Matriculation or equivalent pass from recognised Board.            |

|  |                              |   |
|--|------------------------------|---|
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.  |
| (8)  | (9)                          | (10)  |
| Not applicable.  | Two years.                   | <p>By direct recruitment.</p> <p><b>Note.</b> - Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government.</p> <p>(a)(i) holding analogous post on regular basis; or</p> <p>(ii) with two years regular service in the posts in level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | experience prescribed for direct recruits under column (7).  |
| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | If Departmental Confirmation Committee exists, what its composition.   |
| (11)<br><br>Not applicable.  | (12)<br><br><b>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</b><br><br>(i) Secretary, Animal Welfare Board of India – Chairperson;<br>(ii) Assistant Secretary, Animal Welfare Board of India – Member;<br>(iii) Any Gazetted officer of the Central government of the rank of Under Secretary to the Government of India - Member. |

|  |
|--|
| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
| (13)   |
| Not applicable.  |

S.K. DUTTA, Secy.

[ADVT-III/IV/Exty./413/2024-25]